आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16.5.19	अपीलकर्ता इफ्तखार महमूद उपस्थित। अन्य उत्तरअपीलकर्ता के साथ उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से प्रथम अपीलीय पदाधिकारी गोविन्द उपस्थित। दिनांक 12.3.2019 को दिए गए आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन प्रथम अपीलीय पदाधिकारी गोविन्द द्वारा समर्पित किया गया। आयोग को सौंपी गयी रिपोर्ट की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया गया ताकि इसका मिलान वह कर सके। वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को आदेश दिया गया कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा सौंपी गयी सूची का मिलान कर सूची में वर्णित नाम अगर सही है तो संयुक्त हस्ताक्षर युक्त सूची प्र० अ० पदा० गोविन्द दिनांक 31 मई 2019 तक अनुपालन प्रतिवेदन/सूची आयोग को उपलब्ध करावें। पूर्व में आयोग द्वारा दिनांक 12.3.2019 को अयोग्य कर्मचारियों की दो सूची प्र० अ० पदा० को सौंपी गई थी जिसका भी अनुपालन रिपोर्ट मय कारण 31.5.19 तक प्र० अपी० पदा० आयोग को उपलब्ध करायेंगे। अनुपालन न होने की स्थिति में आयोग धारा 33 के	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्या[illegible] अभ्युक्ति
	अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ होगा। सुनवाई के क्रम सौंपी गई सूची जिन्हें कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है में श्री रेयाज अंसारी कार्ड संख्या 2020019889147 के संबंध में जानकारी दी गई कि उन्हें कार्ड नहीं मिला है और राशन भी नहीं मिल रहा है। Online जांच में पाया गया कि उनके कार्ड से राशन का उठाव प्रति माह हो रहा है। इस मामले को संज्ञान में लिया गया। जिला प्र० आ० पदा० गोमिया जांच कर 31.5.19 तक प्रतिवेदन देंगे। Ranjan 16/5/19 [signature] 16.5.19	
5.7.19	जिला आपूर्ति पदा० बोकारो के पत्रांक 615 दिनांक 28.5.19 द्वारा सूचित किया गया है कि गोमिया प्रखण्ड के अयोग्य कार्डधारियों का सत्यापन/जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करी गई है। प्र०प० उपभोक्ता मजदूर	

आदे की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	ने दिनांक 3.7.19 को दूरभाष पर सूचना दी कि गोमिया ~~मध्य~~ प्रखण्ड के योग्य लाभुक जिसका दावा की गई थी D.S.O बोकारो द्वारा जाँचकर राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही Whatapps द्वारा इस आशय का Photographs भी भेजा है। उपरोक्त परिस्थिति में अन्य पक्षों के द्वारा प्राप्त सूचना से प्रतीत होता है कि प्र०पक्ष का दावा D.S.O द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। अतः इस वाद को संचिकास्त किया जाता है। [signature] 5.7.19	